परियोजना का नाम :--

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसमा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी0।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम —सुवा तहसील—धारचूला, जिला—पिथौरागढ़ अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 10.800 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.445 सिविल सोयम भूमि 0.315 पंचायत भूमि, 0.340 है0 मलुवानिस्तारण हेतु राज्य/सिविल भूमि अर्थात कुल 6.100 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुवा द्वारा दिनांक 2.9.5.20 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




प्रपत्र--23.1

दिनांक:--११-८-। को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम	पंचायतः–	Mal
ग्राम	पंचायतः—	Mal

	ग्राम सुभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	रजनाश्चर	
कमांक	ग्राम सभा म उपास्थत वार्ष्ठ ग्रागवासिया क नान	हस्ताक्षर ऋपाष्ट्र	
1	924 /HE SIO 3114107 (BE		
2	महेन्द्र हिंह डा० लालांगह	कहेन्त्र कि	
3	Taun Besh his 1908	दिवान हि	
4	भगान किंह ८10 हर थिंह	मगन पिष्ट	
5	भगन मिह ७१० खोम मिह	Bolilek	
6	3016 like SIO EL THE	<i>ड्रज्यकी</i> रुद्रामिष्ट	
7	ALG /BE SIO 39(10)	Who	
8	भीम मिह डी० मोहन कि	THUIDE	
9	GAY ME SIO EIT TOE	2/19-11618	
10	मावन मिंह 510 छल्याएँ विंह	2/19-11618	
11	जापाल किंडडा० राज्यागिर		
12	लामनिह डाठ रेप फिट	AdiATIS	
13	मि अन किंड डा० विजय किंद	Fh91-1178	
14	गदन तिह डा० भवान हिंद	074-11/2	
15	44 BE SO 497 TOE	g (1) E	2015
16	जमामती हैंवा ७१० ने दार फिर्		
17	सारदादेवी थान जीपाल हिंह	214515	
18	azisi (82 sio cimans		वहाप्रशिष्ट
19	TOTAL BE SIO YCH MORE	Dayrah Pools	
20	भागारती देवी जा व्यक्तमणी कि	Dagrati	
21	21511 Phs 310 TOTA 158	DISTORE DISTORE	
22	बोलाय मिंह SD मोहन 108		
		0 -	





दिनांक-14-12-2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

मांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर	
	वरीया राग हा व जगल राम	- 90	
-	गोपाल सिंह डा० पा-11 संह	EXTRUIT	
	देश सिंदु हाठ लाल सिंद	John	
	77/219 810 (41/419)	€01 16€	
	सत्ताविद्य का राकाम् तिद्	12000	
-	पर सिंद 80 निशन् सिंद		
	H21-1 121680 ET 1818	· 20001	
	राजुराम हालारी राम		
	,	. 110	
	कु-47 राम हरू . एनगरारा राम	3.20 112	
	सनो ज तिह क लामन तिह	10	
	ना ह सिंदू इंट वावाद्य निह	7 7 218	
	ज्या देनी ७० इनकम् विद	Dir Ale	
		1	
	5117 1219 810 astall light.	211-116	
	यु-पर तिंव कर दम्म तिंद	1000	
	सुरश्'राष्ठ so जम्म रासुराष्ठ	स्रिश्याः	
-	दाला रिनेंड हर खोका सिंह	पीला । दि	
	असवन सिद्ध क पेनम् विद	<u> जलबुय</u>	
	सु-पर विद्व हर रसन् दिन्द	सुन्द्र सिंह	
	क्टारी प्यो wo व्यनम् रिनेषु	1	
	कुशमा देशी थठ हपारा थिंह	(8,9141)	

वन पंचायत न्यू झिमिरगाँव

ग्राम 🖂 सोवला विकास सम्ब धारचुला



परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसमा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी0।

कार्यालय उप जिलाविकारी, धारचूला अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 10.800 कि0मी0) (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 5.445 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.315 है0 वन पंचायत भूमि, 0.340 है0 मलुवा निस्तारण में राज्य/सिविल भूमि अर्थात कुल 6.100 है0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिमित, (तहसील धारचूला) की दिनांक कि कि सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राज्य किया किया जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का कार्य। (लम्बाई 10.800 कि0मी0) परियोजना हेतु 6.100हे0 वनमूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नार्यो को प्रति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नार्यो को प्रविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापित जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसममित से निर्माण खण्ड लोठनिठविठ अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का कार्य (लम्बाई 10.800 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 6.100 हेठ वन भूमि निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिल्लाकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-धारचूला जनपद - पिथौरागढ़।

(लक्ष्मी देवी) सदस्य क्षेत्र पंचायत 14-जुम्मा उत्तर विवस्त०-धारचूला (पिथौरागढ़)

सदस्य केत्र पंचायत ११-ठोल ११-ठोल ए० जारचूला (पिथौरागढ़) परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी0।

> कार्यालय जिलाधिकारी, रिकंडिंग्स्टिंग्स् अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

स्तरीय समिति,पिथौरागढ़।

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 2161/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.800 किमी0 (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 5.445 हे0 सिविल एवं सीयम वन भूमि, 0.315 हे0 मलुवानिस्तारण हेतु प्रयुक्त राज्य / सिविल भूमि 0.340 है0 अर्थात कुल 6.100 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला-पिथौरागढ़) की दिनांक 23... 🕽 .. 202को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास्री (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री नियम का कार्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१४ अ।४९ प्रभागीय वनाधिकारी प्रकारा –समाज कल्याण अधिकारी--जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा मोटर मांग के निर्माण परियोजना हेतु 6.100 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार के दावा/आबदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मित से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसमा क्षेत्र घरचूला में न्यू—सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग की लम्बाई 10.800 कि०मी० परियोजना के निर्माण हेतु 6.100 हैं0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

वको सागव पिथौरागढ ।

जिला समाज केल्याण अधिकारी

सदस्य / सचिव पिथौरागढ़।

जला पंचायत सदस्य(सदस्य) तला (प्रथारागढ

.6 2

FORM-1 (for linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No-72

Dated-23.9.2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 6.100 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Askote (name of user agency) for New - Sobla To Suwa motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of New Suwa village (s) in Dharchula tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.100 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3
 of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(For projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector

No-72

Dated-23-9-2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that he he he he he he he he he so forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Askote (Name of user agency) for New - Sobla to Suwa (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for Suwa village (s) in Dharchula tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure......

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Vijay Kumar Jogdande, I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 23.2.20 at time 2.5 per Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 6.100 Hect for the construction of New Sobla To Suwa Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of P.W.D, Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh

Dated: 23:9:2020

Deputy Commissioner cum-Chairman